

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

25 - पिलानी (अजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री पितराम सिंह काला

रानी सती मंदिर के पास पिलानी जिला झुंझुनू (राज.)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - झुंझुनू

दिनांक - 03 दिसम्बर, 2023



(बृजेश कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पिलानी (25)

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा)

(बृजेश कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पिलानी (025)

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **25 - Pilani (SC)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

Shri Pitram Singh Kala

Rani Sati Mandir Ke Pass Pilani District Jhunjhunu (Raj.)

Sponsored by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - Jhunjhunu

Date - 03 December 2023



(Brejesh Kumar)

Returning Officer

Assembly Constituency Pilani (25)

(Sub Divisional Officer and

Sub Divisional Magistrate Chirawa)

(Brejesh Kumar)

Returning Officer

Assembly Constituency Pilani (025)

(Sub Divisional Officer and

Sub Divisional Magistrate, Chirawa)